बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰ प्रा॰/ नि॰ 06-01/2018 378 /पटना, दिनांक 03/05/2018

प्रेषक,

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
(प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब का निर्वाचन), पटना।

अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाची पदाधिकारी,
(प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब का निर्वाचन), पटना सिटी।

विषय : **तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब की प्रबंधक कमिटी का निर्वाचन 2018 : आवश्यक अनुदेश।**

महाशय,

प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6294 दिनांक 08.04.2011 (परिशिष्ट-1) द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना सहेब के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पदनामित किया गया है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन एवं नियंत्रण में चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-9076 दिनांक 30.09.2011 (परिशिष्ट-2) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को उक्त प्रबंधक कमिटी के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) के रूप में नियुक्त किया गया है :-

(i) निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 (पटना सिटी-गुरू गोविन्द सिंह पथ से पूरब से नगर निगम सीमा के पूर्वी क्षेत्र तक

(ii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2 (गुरू गोविन्द सिंह पथ से पश्चिम गार्डिनर रोड के पूरब तक बोरिंग रोड कॉलोनी सहित)

(iii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 (दानापुर, खगौल, चितकोहरा, नूतन राजधानी क्षेत्र एवं पटना जिला के शेष भाग)

(iv) उत्तर बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्र

(v) दक्षिण बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्र

3. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-9097 दिनांक 14.10.2011 (परिशिष्ट-3) द्वारा जिला अपर समाहर्त्ता, पटना को नोडल पदाधिकारी पदनामित किया गया है। नोडल पदाधिकारी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।

4. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-371 दिनांक 27.04.2018 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

5. **नामांकन पत्र दाखिल किया जाना :-**

5.1 यथास्थिति कोई व्यक्ति/ संस्था किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा, यदि -

(i) उनका नाम अंतिम रूप से प्रकाशित संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं हो

(ii) तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब के संविधान एवं उप विधियों तथा निर्वाचन नियमावली एवं विनियमों के अधीन निर्वाचन हेतु अयोग्य हों।

5.2 इच्छुक व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र विहित प्रपत्र-2 **(परिशिष्ट-5)** में निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा। नामांकन पत्र अभ्यर्थी स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रस्तावक के माध्यम से निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ जमा कर सकता है। वह किसी अभिकर्त्ता के माध्यम से भी नामांकन पत्र जमा करा सकता है। प्रस्तावक अथवा अभिकर्त्ता का नाम उसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में रहना आवश्यक है, जिस निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता है। नामांकन पत्र प्रस्तावक या अभिकर्त्ता द्वारा जमा कराये जाने की स्थिति में उस अभिकर्त्ता या प्रस्तावक को अभ्यर्थी द्वारा अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में प्राधिकृत किया जाना और इसे किसी राजपत्रित पदाधिकारी या किसी ओथ कमिश्नर द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। प्राधिकार पत्र की एक नमूना प्रति **परिशिष्ट-6** के रूप में संलग्न है।

5.3 सिंह सभा/ सिख सोसाईटीज के मामले में नामांकन पत्र उस पदधारक जिसका नाम मतदाता सूची में दिया गया है, द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अभिकर्त्ता द्वारा उप कंडिका-5.2 में वर्णित तरीके से समर्पित किया जायेगा।

परन्तुक - समिति अपने सदस्यों के बीच से किसी भी सदस्य (अध्यक्ष, सचिव या अन्य सदस्य) को अभ्यर्थी बनने हेतु नामांकित कर सकती है। अतः अगर उत्तर बिहार सिंह सभा/ सिख सोसाईटीज तथा दक्षिण बिहार सिंह सभा/ सिख सोसाईटीज निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में निबंधित किसी समिति द्वारा अपने अध्यक्ष या सचिव के अलावे किसी अन्य सदस्य को भी अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसकी मान्यता दी जायेगी।

प्राधिकार (authorization) के सबूत के रूप में अभ्यर्थी को वैसे सिंह सभा/ सिख सोसाईटीज/ गुरूद्वारा के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र साथ लाना होगा।

5.4 नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। चूँकि सभी पाँच निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, अतः निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन लेने हेतु नियत परिसर में पाँचों निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन प्राप्त करने हेतु समुचित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। नामांकन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच (कार्यालय दिवसों में) निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में दाखिल किया जा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि नामांकन पत्र प्राप्त करने की अवधि में निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निश्चित रूप से निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहें।

5.5 नामांकन पत्र भरने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी विहित प्रपत्र-3 में तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उप विधियाँ के अनुच्छेद-10 (ए) के अधीन कोई अयोग्यता नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र भी दाखिल करेगा। दाखिल किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र **परिशिष्ट-7** पर दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन देने वाले अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि शपथ पत्र पर तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक का होना आवश्यक है। प्रस्तावक तथा समर्थक का नाम उसी निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से अभ्यर्थी चुनाव लड़ना चाहता हो, की मतदाता सूची में होना आवश्यक है। उससे भिन्न पहले निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता अभ्यर्थी का प्रस्तावक एवं/ या समर्थक नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है। जो व्यक्ति किसी पद विशेष के लिए स्वयं अभ्यर्थी है, वह उसी पद के लिए खड़े किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक/ समर्थक नहीं बन सकता है। पद विशेष के किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस पद के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है। प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् वह नहीं कह सकता है कि वह उस अभ्यर्थी का प्रस्तावक/ समर्थक नहीं बनना चाहता है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/ समर्थक को उपर्युक्त शर्त्तों की जानकारी दे दी जानी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि कोई गलत सूचना देने अथवा गलत काम करने पर अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत करने के साथ-साथ अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक/ समर्थक के विरूद्ध फौजदारी मुकदमे दायर करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

5.6 **नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किये जाने वाले कागजात :-**

(i) परिशिष्ट-7 पर दिये गये प्रपत्र-3 में शपथ पत्र

(ii) मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि निर्गत करने एवं उसे सत्यापित करने की शक्ति अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी/ पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती है।

(iii) प्रतिभूत्ति राशि (security deposit) के रूप में प्रबंधक कमिटी/ निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा की गई ₹ 51/- की रसीद की छायाप्रति। प्रतिभूत्ति/ जमानत राशि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं जमा की जा सकती है या वह किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से अपने नाम से जमानत की राशि जमा करा सकता है। अगर प्रतिभूत्ति राशि निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ जमा की गई है, तो निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् नीचे कंडिका-(iv) में दिये गये शर्त्तों के अनुरूप निर्वाची पदाधिकारी द्वारा या तो राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी या इसे प्रबंधक कमिटी को सौंप दिया जायेगा।

(iv) उन अभ्यर्थियों को जमानत/ प्रतिभूत्ति राशि वापस लौटा दी जायेगी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल दिये गये मतों का कम-से-कम 10% मत हासिल कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी कुल मतों के 10% से कम मत प्राप्त करेंगे, उनके जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। अगर कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले लेता है, या उसका नामांकन अस्वीकृत कर दिया जाता है या मतदान शुरू होने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो जमानत की पूरी राशि यथास्थिति अभ्यर्थी या जमानत राशि जमा करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जायेगी। अगर प्रतिभूत्ति राशि प्रबंधक कमिटी के पास जमा की जाती है, तो चुनाव समाप्ति के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी महासचिव, प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब को इस बाबत जानकारी उपलब्ध करायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी को जमानत की राशि लौटायी जानी है अथवा नहीं।

(v) यदि नामांकन पत्र स्वयं उम्मीदवार द्वारा दाखिल नहीं किया जा रहा है तो परिशिष्ट-6 में अंकित प्राधिकार पत्र।

5.7 **नामांकन पत्र प्राप्त करते समय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने वाले बिन्दु :-**

(i) अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक के नाम/ संख्या में लिपिकीय भूल को नजरअंदाज किया जायेगा।

(ii) ऐसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची के अनुरूप शुद्ध करने का आदेश दिया जा सकेगा।

(iii) अगर मतदाता सूची में ही कोई तुच्छ/ असारभूत लिपिकीय भूल हो, जैसे पूरे नाम से अंश या टाईटिल छूट गया हो तो निर्वाची पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेने के पश्चात् ऐसे नामांकन पत्र को प्राप्त करेगा।

(iv) विहित प्रपत्र-4 (**परिशिष्ट-8**) में संलग्न चेकलिस्ट से भी संतुष्ट हो ले कि सभी प्रविष्टियाँ भर दी गई हैं अथवा कागजात दाखिल कर दिये गये हैं।

(v) अगर नामांकन पत्र सही ढंग से नहीं भरा गया है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उसे संबंधित अभ्यर्थी को वापस करते हुए त्रुटियों को सुधारकर पुनः दाखिल करने का

परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि संवीक्षा के समय उक्त त्रुटियों के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द करने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो।

(vi) अगर परामर्श दिये जाने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो, तो उस स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र यथास्थिति प्राप्त किया जायेगा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।

(vii) अगर कोई अभ्यर्थी/ उसका प्रस्तावक/ समर्थक किसी दूसरे अभ्यर्थी का नामांकन पत्र देखना चाहे तो ऐसा करने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जायेगी।

(viii) एक व्यक्ति अधिकतम दो सेट ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने पर अभ्यर्थी को प्रतिभूति राशि (security deposit) के रूप में सिर्फ एक बार ही ₹ 51/- की राशि जमा करनी होगी।

5.8 नामांकन पत्र प्राप्त होते ही नामांकन पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के निचले भाग में आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। उसमें निर्वाचन क्षेत्रवार नामांकन पत्र की क्रम संख्या भी अंकित रहेगी। सबसे पहले प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रम संख्या-1 होगी और उसके पश्चात् जैसे-जैसे नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे, वैसे-वैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आदि करके क्रम संख्या अंकित की जायेगी। प्रत्येक नामांकन पत्र को एक क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही समय दो नामांकन पत्र दाखिल किये जाते हैं, तो उक्त दोनों नामांकन पत्र को अलग-अलग क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। उदाहरणस्वरूप यदि अभ्यर्थी कृपाल सिंह द्वारा दायर प्रथम नामांकन पत्र को क्रम संख्या-3 आवंटित की जाती है तो उनके द्वारा साथ-साथ दायर दूसरे नामांकन पत्र को क्रम संख्या-4 आवंटित की जायेगी। पर, यदि अभ्यर्थी कृपाल सिंह द्वारा प्रथम नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अन्य चार अभ्यर्थी के नामांकन पत्र दाखिल हो गये हों और श्री कृपाल सिंह ने अपना दूसरा नामांकन पत्र उनके बाद दाखिल किया है, तो उनके द्वारा दायर दूसरे नामांकन पत्र पर क्रम संख्या-4 अंकित नहीं होकर 4, 5, 6, 7 के बाद क्रम संख्या-8 अंकित की जायेगी।

5.9 निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से नामांकन पत्र के निचले भाग में विहित प्रपत्र में दायर किये गये नामांकन पत्र के बारे में एक प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को दी जायेगी, जिसपर अंकित क्रम संख्या वही होगी जो नामांकन पत्र पर अंकित की गई है। प्राप्ति रसीद में नामांकन पत्र की संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान का भी उल्लेख रहेगा।

5.10 नामांकन पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ निर्वाची पदाधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी जो इच्छुक सदस्यों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र का प्ररूप एवं प्रतिभूत्ति राशि जमा करने से संबंधित रसीद संलग्न किया जायेगा। अतः निर्वाची पदाधिकारी को चाहिए कि वह नामांकन प्रपत्र के साथ शपथ पत्र प्ररूप को भी एक साथ नत्थी कर पहले से ही अपने पास

मौजूद रखे ताकि एक साथ सभी कागजात नत्थीबद्ध रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये जा सके। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जाएगा कि आवश्यकतानुसार इन नत्थीबद्ध कागजातों की फोटो प्रति कराकर प्रयोग में लाया जा सकता है।

5.11 नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि की समाप्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र-5 **(परिशिष्ट-9)** में निर्वाचन क्षेत्रवार एक विवरणी तैयार की जायेगी जिसमें दायर किये गये सभी नामांकन पत्र के बारे में अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक के विवरण सहित आवश्यक ब्यौरा रहेगा और उक्त प्रपत्र की एक प्रति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट में या दीवार के किसी सुगोचर जगह पर चिपका दी जायेगी ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि इस पद के लिए किस-किस सदस्य द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है तथा इस प्रकार नामांकन पत्र में प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में किस-किस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि छल का सहारा लेकर किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जा सके।

5.12 निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दायर शपथ पत्र को इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जायेगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दाखिल शपथ पत्र जाँच हेतु उनके कार्यालय में उपलब्ध है और कोई चाहे तो इस संबंध में आपत्ति, अगर कोई हो, नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय दायर कर सकता है।

6. नामांकन पत्रों की संवीक्षा :-

6.1 नामांकन पत्र के दाखिले की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में अंकित समय, तिथि एवं स्थान पर निर्वाचन क्षेत्रवार दिये गये नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। संवीक्षा क्रमानुसार की जायेगी अर्थात् किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम क्रम संख्या-1 के नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी एवं उसके पश्चात् क्रम संख्या-2, उसके पश्चात् क्रम संख्या-3 आदि के रूप में नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। एक निर्वाचन क्षेत्र की संवीक्षा समाप्त हो जाने पर दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की संवीक्षा प्रारम्भ की जायेगी। नामांकन पत्र की संवीक्षा 11 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ की जायेगी एवं लगातार चलती रहेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश (प्राकृतिक आपदा, हिंसा की कार्रवाई, विधि-व्यवस्था आदि) संवीक्षा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़े तो उस स्थिति में यह कोशिश रहेगी कि अंत में लिये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा पूरी हो जाय। पर, ऐसा संभव नहीं होने की स्थिति में स्थगन के बाद जब संवीक्षा की जायेगी तो उक्त अधूरे नामांकन पत्र की संवीक्षा पहले पूरी कर ली जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी विशेष के बारे में आपत्ति दी जाती है तो उस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कुछ वक्त दिया जायेगा ताकि वे उठाई गई आपत्तियों का जबाव दे सके। निर्वाची पदाधिकारी स्वविवेक से निर्णय लेगा कि संबंधित अभ्यर्थी को कितना वक्त देना चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में यह वक्त दूसरे दिन एक निश्चित समय के अन्दर ही सीमित रहेगा।

6.2 संवीक्षा करने का अधिकार निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी दोनों को रहेगा। परन्तु, प्रत्येक संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाची पदाधिकारी को ही रहेगा। सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा किये जाने पर जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाय कि अमुक नामांकन पत्र अस्वीकृत करने योग्य है तो उसके संबंध में सहायक निर्वाची पदाधिकारी एक स्पष्ट प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगा।

6.3 नामांकन पत्र की संवीक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें किसी प्रकार की गलती या लापरवाही होने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द करने के अतिरिक्त अनावश्यक परेशानियाँ भी पैदा हो सकती हैं। अत: यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूरी निष्ठा एवं गंभीरता के साथ नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाय ताकि इस पर किसी को कोई शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होने पाय। स्पष्टत: संवीक्षा की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी एवं अन्य सदस्यों को यह महसूस हो कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता एवं निष्पक्षता बरकरार है। संवीक्षा की शुद्धता एवं निष्पक्षता के हित में संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक एवं समर्थक मौजूद रह सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

6.4 आमतौर पर यह पाया जाता है कि दायर किये गये नामांकन पत्रों में से कई नामांकन पत्र कोई-न-कोई कारणवश अस्वीकृत हो जाते हैं। किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाची पदाधिकारी को ही प्रदत्त है। कतिपय त्रुटियों के कारण निर्वाची पदाधिकारी के लिए कुछ नामांकन पत्रों को अस्वीकृत करने की अप्रिय कार्रवाई करना आवश्यक हो सकता है।

6.5 **नामांकन पत्र अस्वीकृत करने के आधार**

किसी नामांकन पत्र के बारे में आपत्ति किये जाने पर या स्वप्रेरणा से आवश्यक छान-बीन के उपरान्त निम्नलिखित आधारों पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा –

(i) अभ्यर्थी संगत अधिनियम या नियमावली/ तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब के संविधान एवं उप विधियाँ/ निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी पद के लिए निर्वाचित किये जाने के अयोग्य है।

(ii) प्रस्तावक या समर्थक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अयोग्य है।

(iii) नामांकन पत्र के साथ विहित कागजात/ जमानत राशि की रसीद संलग्न नहीं किये गये हैं।

(iv) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक का हस्ताक्षर सही नहीं है या इस प्रकार हस्ताक्षर छल या बलपूर्वक प्राप्त किया गया है।

6.6 तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के संविधान एवं उपविधियाँ के अनुच्छेद-10 (ए) के अधीन अगर यह प्रश्न उठाया जाय कि कोई अभ्यर्थी गुरूमुखी पढ़ना-लिखना नहीं जानता है तो इसके निपटारे के लिए प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन नियमावली एवं विनियम के नियम-12 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी -

कोई अभ्यर्थी गुरूमुखी पढ़-लिख सकता है या नहीं, अगर इस पर कोई प्रश्न उठे तो, किसी सरकारी या प्रस्वीकृत खालसा विद्यालय (जो मध्य स्तर से नीचे का नहीं हो) के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत यह प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी श्री गुरूग्रंथ साहेब का गुरूमुखी में पाठ कर सकता है तथा गुरूमुखी लिख भी सकता है, प्रस्तुत करने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी गुरूमुखी पढ़-लिख सकता है।

6.7 अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/समर्थक का नाम अंतिम मतदाता सूची में अंकित रहने की स्थिति में मतदाता सूची की संबंधित प्रविष्टि/ प्रविष्टियों की अभिप्रमाणित प्रति को निर्णयात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने पर ऐसे नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया जायेगा बशर्ते कि ऐसा नामांकन पत्र दूसरे अन्य आधारों पर अस्वीकृत करने योग्य नहीं पाया गया हो।

6.8 जैसा कि पूर्व में बताया गया है, कोई भी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिए अधिकतम दो नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकते हैं। संवीक्षा के दौरान ऐसा पाया जाता है कि दाखिल किये गये दो नामांकन पत्रों में से एक नामांकन पत्र गलत है किन्तु दूसरा नामांकन पत्र सभी तरीके से सही है तो उस स्थिति में जो नामांकन पत्र सही पाया गया है, उसके आधार पर अभ्यर्थी का नामांकन विधिमान्य समझा जायेगा।

6.9 कोई नामाकन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधित भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा जो सारभूत नहीं हो। इस संबंध में कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं -

(i) मान लिया जाय कि अभ्यर्थी सरदार गेंदा सिंह द्वारा अपने नामांकन पत्र में अपना नाम सरदार गेंदा सिंह दर्ज किया गया है और अपना हस्ताक्षर सिर्फ गेंदा सिंह के रूप में किया है तो इसे लिपिकीय भूल माना जायेगा और तदनुसार इस भूल के कारण उसका नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी इस प्रकार लिपिकीय भूल के लिए संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ii) महिला अभ्यर्थी के बारे में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आमतौर पर एक ही महिला का नाम विभिन्न प्रकार से लिखा जाता है उदाहरणस्वरूप : बीबी अमरजीत कौर का

नाम विभिन्न प्रसंग में अमरजीत कौर, अमरजीत सरदारनी, श्रीमती अमरजीत आदि के रूप में लिखा जाता है और उनका हस्ताक्षर भी इस प्रकार से किया जाता है। यह संभव है कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी का नाम बीबी अमरजीत कौर लिखा हुआ है, पर हस्ताक्षर में सिर्फ अमरजीत कौर या अमरजीत लिखा हुआ है। इस प्रकार की विसंगतियों को लिपिकीय भूल के रूप में मान्यता दी जायेगी बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी के पति/ पिता का नाम, पता आदि से यह साबित हो जाता है कि वास्तव में बीबी अमरजीत कौर एवं श्रीमती अमरजीत या अमरजीत आदि एक ही अभ्यर्थी है। इसी प्रकार अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी अनुरूप निर्णय लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र में उनके पिता/ पति के नाम के शुरू में स्वर्गीय जोड़ दिया गया है जबकि मतदाता सूची में उनके पिता/ पति के नाम के शुरू में स्वर्गीय नहीं लिखा गया है तो इसे लिपिकीय भूल मानकार संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(iii) नामांकन पत्र में अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक के बारे में मतदाता सूची का जो क्रमांक अंकित किया गया है तथा मतदाता सूची में जो क्रमांक दर्शाया गया है, उसमें अगर कोई विसंगति हो, तो सिर्फ उसी आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी का पता तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाय तथा अभ्यर्थी, प्रस्तावक या समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं हो।

(iv) संवीक्षा के समय किसी अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक की सिर्फ अनुपस्थिति के कारण नामांकन पत्र रद्द नहीं किया जायेगा अर्थात् समुचित आधार पर ही नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है और उसके लिए अभ्यर्थी/ प्रस्तावक/ समर्थक को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि उन्हें पहले से लिखित सूचना दी गई हो कि किस तिथि, समय एवं स्थान पर उनके द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी।

(v) लिपिकीय भूल या जिस त्रुटि को सारभूत नहीं कहा जा सकता है, के बारे में ऊपर दिये गये कुछ उदाहरण संपूर्ण (exhaustive) नहीं माने जा सकते हैं। आमतौर पर यह देखना है कि अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान स्थापित हो रही है या नहीं। सिर्फ लिपिकीय भूल या जो त्रुटि सारभूत नहीं है, उसके आधार पर कोई नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक तथा समर्थक की पहचान निःसंदेह रूप से स्थापित हो जाती हो।

6.10 उपर्युक्त तरीकों से नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर आवश्यकतानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत अंकित कर उस पर अपना हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित करेगा। यदि नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है या किसी नामांकन पत्र पर आपत्ति करने पर भी उसे अस्वीकृत किया जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र पर ही इस प्रकार स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आधार संक्षेप में अंकित किया जायेगा और उसपर उनका हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित रहेगा और इसे पढ़कर संबंधित अभ्यर्थी/ आपत्तिकर्त्ता को तत्क्षण सुनाया जायेगा। इसे निर्वाची पदाधिकारी के सूचना पट पर भी **प्रपत्र-6 (परिशिष्ट-10)** में प्रदर्शित किया जायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित रहेगा कि निर्वाची पदाधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण हेतु आवेदन देने की तिथि दिनांक 09.06.2018, समय 3 बजे अपराह्न तक है।

6.11 अगर निर्वाची पदाधिकारी के आदेश से अभ्यर्थी या आपत्तिकर्त्ता या कोई अन्य अभ्यर्थी असंतुष्ट हो तो वह विहित समय सीमा के अंदर स्वयं या अपने वकील या अभिकर्त्ता के माध्यम से **प्रपत्र-7 (परिशिष्ट-11)** में उक्त आदेश के पुनरीक्षण हेतु निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकता है।

6.12 अगर पुनरीक्षण हेतु ऐसा कोई आवेदन निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त होता है, तो निर्वाची पदाधिकारी आवेदनकर्त्ता या उसके वकील को सुनकर अपने पूर्व पारित आदेश को सम्पुष्ट कर सकता है तथा निर्वाची पदाधिकारी को ऐसा विश्वास हो कि आवेदन के समुचित निष्पादन के लिए अभ्यर्थी या आपत्तिकर्त्ता या अन्य अभ्यर्थी को सुनना आवश्यक है, तो वह यथास्थिति संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनके द्वारा नोटिस नहीं प्राप्त करने की स्थिति में नामांकन पत्र में दिये गये पते के अनुसार उनके आवास के दरवाजे पर नोटिस चिपकाकर किसी तिथि विशेष एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करेगा और सभी संबंधित की बात सुनकर या तो अपने पूर्व पारित आदेश को सम्पुष्ट करेगा या इसे निरस्त करते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे। इस प्रकार से पारित किया गया आदेश अंतिम माना जायेगा। **परन्तु, यह भी कि अगर निर्वाची पदाधिकारी को पुनरीक्षण हेतु दिये गये किसी आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय लेने में कोई भ्रम या कठिनाई महसूस हो, तो वह मामले को तुरंत राज्य निर्वाचन प्राधिकार को विचारण हेतु भेजेगा। प्राधिकार जहाँ आवश्यक समझे, प्रबंधक कमिटी से विचार-विमर्श कर निर्णय लेगा। प्राधिकार द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी।**

6.13 चूंकि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश अंतिम होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर ही सम्यक् आदेश पारित किया जाय ताकि निर्वाचन के पश्चात् किसी न्यायालय में याचिका दायर करने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में खामी नहीं

निकाली जा सके। स्पष्टतः नामांकन पत्र तथा उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में निर्वाची पदाधिकारी का आदेश चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र से संबंधित सभी अभिलेख अपने अधीन सुरक्षित रखा जाय ताकि भविष्य में उसकी आवश्यकता होने पर उसे तुरत उपलब्ध कराया जा सके।

7. अभ्यर्थिता की वापसी -

कोई भी अभ्यर्थी दायर किये गये अपने नामांकन पत्र को स्वयं या अपने प्रस्तावक या अभिकर्त्ता के माध्यम से वापस ले सकता है। ऐसा संभव है कि उपर्युक्त तीनों से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छल से किसी अभ्यर्थी का नाम वापस ले लिया जाये एवं संबंधित अभ्यर्थी को इसकी कोई जानकारी नहीं हो। अतः निर्वाची पदाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि वापसी की सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक या अभिकर्त्ता ही है। अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निश्चित की गई तिथि के अपराह्न 3 बजे के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार, नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना संबंधित अभ्यर्थी द्वारा **प्रपत्र-8 (परिशिष्ट-12)** में व्यक्तिगत रूप से स्वयं या अपने प्रस्तावक/ अभिकर्त्ता द्वारा उपस्थित होकर निर्वाची अधिकारी को दी जायेगी और निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र के निचले भाग में विहित प्राप्ति रसीद दी जायेगी। इस प्रकार, नामांकन पत्र को वापस लेने की सूचना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र वापस लिया समझा जायेगा और इस प्रकार अभ्यर्थिता की वापसी को अंतिम माना जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने के पश्चात् उन्हें अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना को रद्द करने या उस पद के निर्वाचन, जिसके लिए दाखिल किया गया नामांकन पत्र को वापस लिया गया है, में पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इसके बारे में **प्रपत्र-9 (परिशिष्ट-13)** में सूचना जारी कर उसे उनके कार्यालय के सूचना पट में या ऐसी जगह पर चिपका दी जायेगी जिससे आम लोगों को मालूम हो जाय कि किस अभ्यर्थी विशेष द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गयी है।

8. विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक का आवंटन :-

8.1 नामांकन पत्र की संवीक्षा तथा उसे वापस लेने के पश्चात् जो अभ्यर्थी शेष रह गये हैं निर्वाचन क्षेत्रवार अलग-अलग उनकी सूची निर्वाची पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-10 (परिशिष्ट-14)** में तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र-10 की एक-एक प्रति निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट में या दीवार की सुगोचर जगह पर चिपका दी जायेगी जिससे लोगों को यह मालूम हो जाय कि किस-किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन वैद्य अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं। **प्रपत्र-10 में वैध अभ्यर्थी का नाम तथा उनका पता देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रमानुसार अंकित**

किया जायेगा और इसमें अभ्यर्थी के नाम के साथ-साथ प्राधिकार द्वारा विहित तरीके से अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक चिह्न भी अंकित रहेगा।

8.2 वर्णानुक्रम में अभ्यर्थी का नाम अंकित करने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

(क) वर्णानुक्रम में किस अभ्यर्थी का नाम प्रथम अंकित जायेगा, वह अभ्यर्थी के प्रथम नाम के प्रथम अक्षर पर निर्भर करेगा। यदि प्रपत्र-10 में अंकित पाँच अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थी के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर स्वर वर्ण (यथा अमरजीत सिंह एवं आनन्दी सिंह) है, तो उस स्थिति में दोनों नाम वर्णानुक्रम में सबसे ऊपर रहेंगे। इन दोनों नामों में भी सर्वप्रथम अमरजीत सिंह का नाम रहेगा और उसके पश्चात् आनन्दी बरनाला का नाम अंकित किया जायेगा क्योंकि अमरजीत का प्रथम अक्षर 'अ' वर्णानुक्रम में पहले है, जबकि आनन्दी का प्रथम अक्षर 'आ' बाद में आता है।

(ख) अगर शेष तीन अभ्यर्थियों का नाम व्यंजन वर्ण में हैं तो उन तीन अभ्यर्थियों का नाम स्वर वर्ण से प्रारंभ उपर्युक्त दो अभ्यर्थियों अमरजीत सिंह तथा आनन्दी सिंह के बाद अंकित किया जायेगा और इन तीन अभ्यर्थियों का नाम भी वर्णानुक्रम में अंकित किया जायेगा। मान लिया जाय कि इन तीन अभ्यर्थियों का नाम क्रमशः कालका सिंह, सुरजीत सिंह एवं जगजीत सिंह है तथा नामांकन पत्र प्राप्त होने की सूची में क्रमशः तीसरे स्थान पर कालका सिंह, चौथे स्थान पर सुरजीत सिंह तथा पाँचवें स्थान पर जगजीत सिंह का नाम अंकित है। तीसरे, चौथे एवं पाँचवें स्थान पर अंकित तीनों अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर क्रमशः 'क', 'स' एवं 'ज' से प्रारंभ होता है, पर चूंकि 'क' के बाद 'ज' तथा 'ज' के बाद 'स' आता है, इसलिए प्रपत्र-10 में कालका सिंह का नाम पहले आयेगा और उसके पश्चात् जगजीत सिंह का नाम और उसके पश्चात् सुरजीत सिंह का नाम आयेगा।

(i) जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है अभ्यर्थियों के प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णानुक्रम तैयार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में वर्णानुक्रम तय करने के लिए प्रथम नाम का द्वितीय या तत्पश्चात् के अक्षर को आधार नहीं माना जायेगा।

(ii) यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर एक ही है, तो इन अभ्यर्थियों द्वारा दायर किये गये नामांकन पत्र, जिसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा वैध पाया गया है तथा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है, पर अंकित क्रम संख्या के आधार पर वर्णानुक्रम तय किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, तीन अभ्यर्थियों यथा - बलराज सिंह, बलिन्दर सिंह तथा बलवीर सिंह के बारे में प्रथम नाम का प्रथम अक्षर 'ब' है और यह मान लिया जाय कि बलराज सिंह के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या-2, बलिन्दर सिंह के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या-4 तथा बलवीर सिंह के नामांकन पत्र पर क्रम सं०-3

अंकित किया गया है तो उस स्थिति में प्रपत्र-10 में सभी अभ्यर्थियों के वर्णानुक्रम में इन तीन अभ्यर्थियों का नाम जिस स्थान पर अंकित किया जाना है, उसमें इन अभ्यर्थियों में से प्रथम नाम बलराज सिंह, उसके पश्चात् बलवीर सिंह एवं उसके पश्चात् बलिन्दर सिंह का नाम अंकित रहेगा।

(iii) ऐसा भी मामला हो सकता है कि जहाँ प्रपत्र-10 में अंकित अभ्यर्थियों में से दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का संपूर्ण नाम एक ही है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की कंडिका के अनुसार इन अभ्यर्थियों का आपसी वर्णानुक्रम तय किया जायेगा और तदनुसार उनका नाम प्रपत्र-10 में अंकित किया जायेगा। पर, उन्हें अलग-अलग पद के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठ में (1), (2) आदि संख्या या अन्य कोई पहचान तदनुसार, या डाटा आदि पिता/ पति का नाम आदि अंकित किया जायेगा जिसकी जानकारी संबंधित अभ्यर्थी को भी लिखित रूप से **प्रपत्र-11 (परिशिष्ट-15)** में दी जायेगी।

(iv) प्रपत्र-11 में सूचना जारी करने के साथ-साथ संबंधित अभ्यर्थियों को **प्रपत्र-12 (परिशिष्ट-16)** में सूचना दी जायेगी कि उन्हें अमुक निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया गया है। इस **प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा** विहित किये जाने वाले तरीके से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा तथा इस प्रकार आवंटित निर्वाचन प्रतीक में प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(v) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के संबंध में एक सूचना संलग्न **परिशिष्ट-17** में दी जायेगी।

9. निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने चुनाव कार्य के लिए अधिकतम दो निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके मतदान तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करेंगे। किन्तु, किसी एक समय एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकता है। दूसरा व्यक्ति रिजर्व के रूप में रहेगा। अभ्यर्थी किसी भी समय अपने हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है और उसकी जगह नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी अभ्यर्थी नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। **जो अभ्यर्थी अपना कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं करना चाहें, वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।** स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता

के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति **प्रपत्र-13 (परिशिष्ट-18)** में की जायेगी। निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी जिसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित हो, किसी बाहरी व्यक्ति या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित व्यक्ति को नहीं।

10. **कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर**

यदि नामांकन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त या नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि के उपरान्त ऐसा पाया जाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से या तो कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है या दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं, या स्वीकृत अंतिम नामांकन पत्रों को वापस ले लिया गया हो, तो उस स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा एक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा राज्य निर्वाचन प्राधिकार को अविलम्ब भेजा जायेगा और इस पर प्राधिकार के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। प्रतिवेदन का प्रारूप **परिशिष्ट-19** पर संलग्न है।

11. **मतदान का प्रत्यादिष्ट होना (countermanded)**

अगर प्रपत्र-10 में अंकित निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी अभ्यर्थी की मृत्यु मतदान शुरू होने के पहले हो जाती है और मतदान के नियत समय के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है तो उस अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने संबंधी तथ्य का समाधान हो जाने पर निर्वाची पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकार को देगा। प्राधिकार से निदेश प्राप्त होने पर उक्त पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ की जायेगी। स्पष्ट किया जाता है कि अगर किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने की सूचना मतदान शुरू होने के बाद निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त होती है तो इस आधार पर निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा।

12. **निर्विरोध एवं सविरोध निर्वाचन :-**

(i) चूंकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से मात्र एक-एक व्यक्ति/ संस्था निर्वाचित किया जाना है, अतएव किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार किये गये प्रपत्र-10 में अंकित वैध अभ्यर्थियों की संख्या यदि मात्र एक है तो उस परिस्थिति में संबंधित पद के लिए मतदान नहीं कराया जायेगा बल्कि ऐसे एकमात्र अभ्यर्थी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जायेगा और उसके परिणामस्वरूप **प्रपत्र-14 (परिशिष्ट-20)** में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना की तिथि को मतगणना के पश्चात् प्रमाण-पत्र हस्तगत कराया जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी राज्य निर्वाचन प्राधिकार को इसकी सूचना देगा तथा

उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं संबंधित अभ्यर्थी को भी उपलब्ध करायेगा।

(ii) यदि उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार किये गये प्रपत्र-10 में एक से अधिक वैध अभ्यर्थियों का नाम अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्राधिकार द्वारा नियत तिथि को मतदान कराया जायेगा।

13. मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन

प्राधिकार के निदेशों के अधीन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चयनित मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन **प्रपत्र-15 (परिशिष्ट-21)** में दिनांक 26.06.2018 को प्राधिकार के माध्यम से बिहार एवं झारखंड में परिचालन रखने वाले समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जायेगा, जिसमें मतदान केन्द्रों के नाम एवं अवस्थिति के साथ-साथ उससे संबद्ध मतदाताओं के क्षेत्रों का विवरण भी अंकित रहेगा। सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहेगा कि मतदान केन्द्र क्षेत्र में पड़ने वाले मतदाता सिर्फ उसी मतदान केन्द्र पर अपना मतदान कर सकते हैं, किसी अन्य मतदान केन्द्र पर नहीं। इस सूचना की एक प्रति निर्वाची पदाधिकारी के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रति प्रबंधक कमिटी को उसके सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु भेजी जायेगी।

14. मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची का विखंडन

जिस निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, वहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एक मतदान केन्द्र से कितने मतदाताओं को सम्बद्ध किया जाय। चूँकि प्राधिकार की दृष्टि में यह बात आयी है कि प्रबंधक कमिटी द्वारा विभिन्न इलाकों/ मुहल्लों (localities) को मिलाकर मतदाता सूची बनाई गई है, प्राधिकार समझता है कि अलग-अलग इलाकों में मतदान केन्द्रों की स्थापना किये जाने पर मतदाता सूची के विखंडन में परेशानी होगी। अतः यह निर्णय लिया गया है कि मतदान केन्द्र एक ही भवन में अलग-अलग कमरों में स्थापित किये जायेंगे। ध्यान रहे कि अलग-अलग मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध किये जाने वाले मतदाताओं की संख्या लॉप साईडेड नहीं हो, अर्थात् किसी मतदान केन्द्र से बहुत ज्यादा और किसी मतदान केन्द्र से बहुत कम मतदाता सम्बद्ध नहीं हो। सामान्यतया 800 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र बनाया जाना है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 800 से ज्यादा है, तो वहाँ दो मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता होगी। आदर्श स्थिति यह होगी कि दोनों मतदान केन्द्रों से यथासंभव बराबर-बराबर मतदाताओं को सम्बद्ध किया जाय। प्रपत्र-15 (परिशिष्ट-21) के जरिये मतदाताओं को मतदान केन्द्रों से सम्बद्ध करने संबंधी सूचना के अतिरिक्त मतदान केन्द्रों के बाहर यह भी स्पष्ट रूप से सूचना चिपकाई रहेगी कि मतदाता सूची के किस क्रमांक से किस क्रमांक तक के मतदाता पहले मतदान केन्द्र से और किस क्रमांक से किस

क्रमांक तक के मतदाता दूसरे मतदान केन्द्र से सम्बद्ध है। मतदाता सूची की पूरी प्रतियाँ भी मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित की हुई रहेगी।

15. मतदान दलों का गठन

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग-अलग मतदान दल गठित किया जायेगा। सामान्यतया प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं तीन मतदान पदाधिकारी होंगे किन्तु जहाँ मतदाताओं की संख्या 300 से कम हो, वहाँ सिर्फ एक पीठासीन पदाधिकारी एवं दो मतदान पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मतदान दल में एक अतिरिक्त पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो गुरूमुखी जानता हो। उक्त अतिरिक्त पदाधिकारी की सेवा केवल उसी स्थिति में ली जायेगी जिसका उल्लेख ऊपर कंडिका-3.6 में किया गया है। कोई व्यक्ति जो सरकार या सरकारी निकाय या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक या कर्मी हो, पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। **तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब के प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित किसी भी सरकारी/ गैर सरकारी सेवक/ कर्मी को किसी भी स्थिति में पीठासीन/ मतदान पदाधिकारी या अन्य रूप में निर्वाचन कर्त्तव्य पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।** निर्वाची पदाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वे यथाशक्य वरीय एवं अनुभवी सरकारी सेवकों, यथा प्रखंडस्तरीय पर्यवेक्षक, कनीय अभियंता आदि की प्रतिनियुक्ति करें। प्रथम मतदान पदाधिकारी के रूप में वरिष्ठ सहायकों अथवा समकक्ष स्तर के कर्मियों की नियुक्ति की जा सकती है। द्वितीय मतदान पदाधिकारी के रूप में प्रथम मतदान पदाधिकारी से न्यून स्तर के कर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में किसी कर्मठ अनुसेवक की नियुक्ति करना उचित होगा।

पीठासीन/ मतदान पदाधिकारी के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के संबंध में प्राधिकार द्वारा अलग से निदेश निर्गत किये जायेंगे।

16. मतदाताओं की पहचान

मतदाता की पहचान के आधार - निर्वाचक सूची में अंकित सही व्यक्ति ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और उनका प्रतिरूपण रोका जा सके, इसके लिये यह आवश्यक है कि मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करायी जाय। इस संदर्भ में प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मतदान केन्द्र पर प्रबंधक कमिटी के चुनाव के लिये मतदान के समय निर्वाचक सूची में अंकित प्रत्येक निर्वाचक को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिन निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र नहीं मिल पाया है, अथवा जो परिस्थितिवश अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र

प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो ऐसे निर्वाचकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स

(iii) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन)

(iv) आधार कार्ड

(v) राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सीमित सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

(vi) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र/ लाइब्रेरी कार्ड

(vii) बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक

(viii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1/ पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 से संबंधित फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र

(ix) फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस

(x) फोटोयुक्त सम्पति संबंधी दस्तावेज, यथा पट्टा, निंबधित डीड

(xi) फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज यथा, पेंशन भुगतान दस्तावेज/ भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ भूतपूर्व सैनिक विधवा प्रमाण पत्र/ आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन कार्ड/विधवा पेंशन कार्ड

(xii) फोटोयुक्त रेलवे पास

(xiii) फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण पत्र

(xiv) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र

(xv) फोटोयुक्त एम॰ एन॰ आर॰ ई॰ जी॰ ए॰ (मनरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाण-पत्र (कार्ड)

(xvi) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड

निर्वाचक द्वारा फोटो पहचान पत्र या उपर्युक्त 16 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर उन्हें मत डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. मतपत्र एवं चुनाव सामग्रियाँ

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य पद के लिए मतपत्र प्रतिपर्ण के साथ कम से कम 60 जी॰ एस॰ एम॰ मैपलिथो कागज पर काले रंग से मुद्रित किये जायेंगे। मतपत्र पर निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों का नाम बायीं ओर एवं उन्हें आवंटित चुनाव चिह्न दायीं ओर अंकित रहेगा। प्राधिकार द्वारा मतपत्रों के लिए प्ररूप एवं प्रकल्प तथा चुनाव सामग्रियों के बारे में अलग से सूचित किया जायेगा।

18. मतगणना

18.1 प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के निर्वाचन में भी मतगणना कार्य हेतु सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु प्राधिकार द्वारा निर्गत मतगणना अनुदेश पुस्तिका (प्रति संलग्न) में दिये गये सामान्य अनुदेश यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित (Mutatis Mutandis) लागू होंगे। प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब की निर्वाचन नियमावली एवं उप नियमों के प्रावधानों के आलोक में जहाँ कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता प्राधिकार द्वारा महसूस की गयी है, उनका उल्लेख नीचे किया गया है।

18.2 मतों की गणना दो स्तरों पर की जायेगी। पहली गणना मतदान केन्द्र स्थल पर ही संबंधित पीठासीन पदाधिकारी एवं उनके दल के सदस्यों द्वारा की जायेगी। पीठासीन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में रिजल्ट शीट तैयार कर प्रतिक्षेपित मतपत्र एवं गिनती किये गये मतपत्रों के पैकेट सहित मतगणना संबंधी समस्त अभिलेखों को निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। रिजल्ट शीट के आधार पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कोई परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।

18.3 निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी/ पदाधिकारियों से प्राप्त रिजल्ट शीट, प्रतिक्षेपित मतपत्र एवं गिनती किये गये मतपत्रों के पैकेट को खोलकर पुनः उसकी जाँच तथा आवश्यकतानुसार गिनती की जायेगी एवं तदनुसार रिजल्ट शीट को संशोधित एवं समेकित किया जायेगा।

18.4 निर्वाचन परिणाम की घोषणा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ही की जायेगी।

18.5 मतगणना कार्य हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों की सुविधा हेतु इस पत्र के साथ तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब की प्रबंधक कमिटी के चुनाव में मतगणना कार्य हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले प्रपत्रों की प्रति परिशिष्ट-22 (प्रपत्र-16), परिशिष्ट-23 (प्रपत्र-17), परिशिष्ट-24 (प्रपत्र-18) एवं परिशिष्ट-25 (मतों की गणना के लिए गणना-शीट का नमूना) पर दी गयी है।

19. मतगणना के पश्चात् मतगणना कागजातों/ अभिलेखों की समुचित अभिरक्षा

पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2018 को मतगणना के पश्चात् सभी मतगणना कागजातों/ अभिलेखों को सीलबंद कर निर्वाची पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध कराया जाना है। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दूसरे दिन यानी दिनांक 14.07.2018 को सीलबंद पैकेटों को खोलकर विधिमान्य/ अविधिमान्य मतपत्रों की पुनः गिनती की जानी है। अतः यह आवश्यक है कि पीठासीन पदाधिकारी/ पदाधिकारियों से प्राप्त मतगणना कागजातों/ अभिलेखों को रात भर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाय। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर डबल ताले वाले एक बड़े स्टील बॉक्स की व्यवस्था की जायेगी जिसमें पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त सभी पैकेटों को रखा जायेगा एवं उसमें ताला बंद कर उसे निर्वाची पदाधिकारी के सील से अच्छी तरह सीलबंद कर दिया जायेगा। निर्वाचन लड़ने वाले

अभ्यर्थी अगर चाहे तो ट्रंक के ताले/ किनारियों पर अपनी सील भी लगा सकते हैं। सीलबंद बक्से को दूसरे दिन खोले जाने तक किसी उपयुक्त कमरे को वज्रगृह (strong room) बनाकर पुलिस अभिरक्षा में रखा जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा वज्रगृह की अवस्थिति की सूचना अग्रिम रूप में अपने सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी तथा संबंधित अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्त्ताओं को भी इनकी प्रति हस्तगत करा दी जायेगी। ट्रंक को यथासंभव अभ्यर्थियों के समक्ष खोला जायेगा तथा यह आश्वस्त हो लिया जायेगा कि सील से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

20. **चुनाव प्रक्रिया के दौरान वर्तमान प्रबंधक कमिटी के सदस्यों/ पदधारकों के लिए कतिपय निर्बन्धन**

प्राधिकार वर्तमान प्रबंधक कमिटी के सदस्यों/ पदधारकों से यह अपेक्षा रखता है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी मतदाता या मतदाताओं के समूह को प्रभावित होने की बात उठे।

21. **प्रेक्षक**

मतदान/ मतगणना प्रक्रिया पर गहरी नजर रखने हेतु प्राधिकार प्रेक्षकों की भी नियुक्ति करेगा, इस संबंध में विस्तृत निदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

22. **निर्वाचन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य**

तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के निर्वाचन संचालन में सर्वाधिक उत्तरदायित्व निर्वाची पदाधिकारी का है। उनके महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत् हैं -

(i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप विस्तृत व्यवस्था हेतु कार्यक्रम एवं योजना बनाना।

(ii) प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं प्रकाशन सुनिश्चित करना।

(iii) मतदान दलों का गठन एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति।

(iv) अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिला निर्वाचन पदाधिकारी(तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब का निर्वाचन) से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाओं एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों(प्राधिकार द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्रियों, यथा अमिट स्याही, पेपर सील आदि को छोड़कर) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(v) नामांकन पत्रों की प्राप्ति के क्रम में सम्पूर्ण तैयारी रखना।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के रूप में विभिन्न सूचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

(vii) नामांकन पत्रों की संवीक्षा करना तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि के उपरांत प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतीक आवंटन करना।

(viii) लिपिकीय त्रुटियों अथवा असारभूत आक्षेपों के आधार पर किसी अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत नहीं करना।

(ix) अभ्यर्थिता वापसी की सूचना देने वाले व्यक्ति के संबंध में आश्वस्त हो लेना कि वह स्वयं अभ्यर्थी ही है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

(x) सम्यक रूप से नाम निर्देशित एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करना।

(xi) निर्वाचन कर्त्तव्य एवं मतपेटिकाओं के संचालन पर सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

(xii) प्रेक्षक को उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(xiii) निर्वाचन कार्य का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण।

(xiv) संपत्ति का विरूपण करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई करना।

(xv) अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय पर गहरी नजर रखना।

(xvi) चुनाव के दिन मतदान का पर्यवेक्षण करना एवं पीठासीन पदाधिकारी से मतगणना के पश्चात् प्राप्त मतपेटिकाओं/अन्य निर्वाचन कागजातों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना।

(xvii) मतगणना के दौरान मतगणना कार्मिकों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(xviii) परिणाम की घोषणा करना।

(xix) परिणाम की घोषणा के उपरांत सभी मतपेटिका, निर्वाचन कागजात एवं निर्वाचन सामग्री को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब) के आदेश के अधीन सुरक्षित रखवाना।

निर्वाची पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब का निर्वाचन)/ प्रेक्षक से गहरे संपर्क एवं समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं हो।

23. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब का निर्वाचन) द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएँ :-**

निर्वाचन के संचालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहेब का निर्वाचन) द्वारा की जायेंगी -

(i) मतदान कर्मियों(रिजर्व सहित) के लिये गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र/ परिसर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिये सशस्त्र बल की व्यवस्था कराना।

(iii) आवश्यक मतपत्र सहित निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था करना, जिसके संबंध में अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

(iv) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा की ससमय जाँच सुनिश्चित करवाना एवं प्राधिकार को प्रतिवेदन देना।

(v) निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात विहित समयावधि तक मतपेटिकायों, निर्वाचन कागजात एवं निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा।

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन उल्लिखित निर्वाचन अपराधों के निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

24. **इस पत्र के साथ निम्नलिखित परिशिष्ट/ प्रपत्र संलग्न हैं** –

(i) परिशिष्ट–1: जिला पदाधिकारी, पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को क्रमशः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पदनामित किये जाने से संबंधित अधिसूचना संख्या–6294 दिनांक 08.04. 2011.

(ii) परिशिष्ट–2: अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निर्वाची पदाधिकारी (Returning officer) नियुक्त किये जाने से संबंधित अधिसूचना संख्या–9076 दिनांक 30.09.2011.

(iii) परिशिष्ट–3: जिला अपर समाहर्त्ता, पटना को नोडल पदाधिकारी पदनामित कये जाने से संबंधित अधिसूचना संख्या–9097 दिनांक 14.10.2011

(iv) परिशिष्ट–4: तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना संख्या 371 दिनांक 27.04.2018 की प्रति

(v) परिशिष्ट–5: (प्रपत्र–2) नामांकन पत्र का विहित प्रपत्र

(vi) परिशिष्ट–6: प्रस्तावक/ अभिकर्ता के पक्ष में अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले प्राधिकार पत्र का नमूना।

(vii) परिशिष्ट–7: (प्रपत्र–3) अभ्यर्थी द्वारा दायर किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र

(viii) परिशिष्ट–8: (प्रपत्र–4) नामांकन पत्रों की जांच हेतु चेक लिस्ट

(ix) परिशिष्ट–9: (प्रपत्र–5) निर्वाचन क्षेत्रवार दायर किये गये नामांकन पत्रों की विवरणी का प्रपत्र

(x) परिशिष्ट–10: (प्रपत्र–6) नामांकन पत्रों की स्वीकृति/ अस्वीकृति से संबंधित सूचना

(xi) परिशिष्ट–11: (प्रपत्र–7) निर्वाची पदाधिकारी के आदेश के पुर्निरिक्षण हेतु आवेदन पत्र

(xii) परिशिष्ट–12: (प्रपत्र–8) अभ्यर्थिता वापसी का प्रपत्र

(xiii) परिशिष्ट–13: (प्रपत्र–9) नाम वापस ले लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(xiv) परिशिष्ट–14: (प्रपत्र–10) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(xv) परिशिष्ट–15: (प्रपत्र–11) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक समान रहने पर अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक की सूचना

(xvi) परिशिष्ट–16: (प्रपत्र–12) सभी अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक की सूचना

(xvii) परिशिष्ट–17: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियमा, 2008/ भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के संबंध में सूचना

(xviii) परिशिष्ट–18: (प्रपत्र–13) निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता/ मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति

(xix) परिशिष्ट–19: कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भेजे जाने वाला प्रतिवेदन

(xx) परिशिष्ट–20: (प्रपत्र–14) प्रमाण पत्र

(xxi) परिशिष्ट–21: (प्रपत्र–15) मतदान केन्द्रों के बारे में सूचना का प्रकाशन

(xxii) परिशिष्ट–22: (प्रपत्र–16) निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र

(xxiii) परिशिष्ट–23: (प्रपत्र–17) निर्वाचन के मतों की गणना का समेकित परिणाम–पत्र

(xxiv) परिशिष्ट–24: (प्रपत्र–18) निर्वाचन परिणाम की विवरणी

(xxv) परिशिष्ट–25: मतों की गणना के लिए गणना–शीट का नमूना

(xxvi) सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतगणना अनुदेश की प्रति (पुस्तिका की प्रति संलग्न)

विश्वासभाजन,

10.3.5.16

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

अधिसूचना संख्या : निप्रा०/नि० 6-01/2010 6294 /पटना, दिनांक 8 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 की उप धारा- 1 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 3 के अनुसार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा सहकारी सोसायटी, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति या अन्य किसी संस्था या संगठन या स्थापना या ऐसे निकायों या उनके समूह, जिसके संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चय करें, में प्रबंध समिति का निर्वाचन कराये जाने के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 2025 दिनांक 25.05.2010 द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को पटना साहेब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब की प्रबंध समिति का चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है।

2. समादेश याचिका संख्या- 18827/ 2008 -मनोहर सिंह-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 07.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब की प्रबंध समिति का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है।

3. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब के प्रबंध समिति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस हेतु कार्यक्रम एवं संचालन हेतु कार्यक्रम तथा निदेश इत्यादि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम- 14, 2008) की धारा- 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन के लिए जिला पदाधिकारी, पटना को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पदनामित किया जाता है।

5. तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पदनामित किया जाता है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन एवं नियंत्रण में तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब के प्रबंध समिति का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

6. तख्त श्री हरिमंदिर जी साहेब के प्रबंध समिति के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्य उपर्युक्त पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में संचालित करेंगे।

8/4/11
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 6294 पटना, दिनांक 8 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को अधिसूचना की प्रति राज्य गजट के असाधरण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

8/4/11
सचिव

Notification\Notification_April 06-04-11.doc

परिशिष्ट-2

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

अधिसूचना

पटना / दिनांक 30 सितम्बर, 2011

अधिसूचना संख्या : नि॰प्रा॰/नि॰ 6-01/2010 /9076 समादेश याचिका संख्या 18827/2008 - मनोहर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.12.2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटी का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक-3/एम॰-59/2010-2025 दिनांक 25.05.2010 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटी का चुनाव कराने का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को उक्त प्रबंधक कमिटी के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

(i) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1
(ii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2
(iii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3
(iv) उत्तर बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्र
(v) दक्षिण बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्र

3. इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 6294 दिनांक 08.04.2011 के आलोक में उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

4. निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेशन एवं नियंत्रण में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटी के ऊपर वर्णित निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन संबंधी कार्य करेंगे।

30/9

(एन॰ एस॰ माधवन)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 9076 पटना, दिनांक 30 सितम्बर, 2011

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

30/9

(वीरेन्द्र कुमार)
सचिव

Notification\Ni Pra Ni 6_01_2010.doc

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

अधिसूचना

पटना / दिनांक 14 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना संख्या : निप्रा०/नि० 6-02/2011 /9097 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 18827/2008- मनोहर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 07.12.2010 को पारित आदेश के अनुसार तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2025 दिनांक 25.05.2010 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उपर्युक्त आलोक में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 5 (2) तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6(2) के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6294 दिनांक 8 अप्रैल, 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। साथ-ही-साथ प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 9076 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को उक्त प्रबंधक कमिटि के पाँच निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी (Returning Officer) के रूप में नियुक्त किया गया है।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम- 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि के निर्वाचन के लिए जिला अपर समाहर्त्ता, पटना को नोडल पदाधिकारी पदनामित किया जाता है।

4. नोडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंधक कमिटि का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे एवं सीधे उन्हें प्रतिवेदन देंगे।

(एन० एस० माधवन)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 9097 पटना, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

14/10/11

(विनय कुमार)
अवर सचिव

Notification(11.10.2011

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

/पटना, दिनांक 27-4-2018

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 06-01/2018 371 चूँकि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब के प्रबंधक कमिटि का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया जाना है,

और चूँकि तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के कुल 15 सदस्यों में से पटना के स्थानीय सिखों से तीन सदस्यों यथा निर्वाचन क्षेत्र सं०-1, निर्वाचन क्षेत्र सं०-2 एवं निर्वाचन क्षेत्र सं०-3 तथा उत्तरी बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य, यानी कुल 5 सदस्यों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जाना है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उपविधियाँ तथा तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन की नियमावली एवं विनियम के अधीन राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के स्थानीय सिखों से तीन सदस्यों यथा निर्वाचन क्षेत्र सं०-1, निर्वाचन क्षेत्र सं०-2 एवं निर्वाचन क्षेत्र सं०-3 तथा उत्तरी बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र एवं दक्षिण बिहार के सिंह सभा एवं सिख सोसाईटी निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य के चुनाव हेतु **परिशिष्ट-I में संलग्न कार्यक्रम** के अनुसार दिनांक 13.07.2018 की तिथि को नियत करता है और मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव करें।

उक्त निर्वाचन के लिए अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार संलग्न प्रपत्र-1 में आम सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन मतदान केन्द्र परिसर में ही संबंधित पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतगणना कराई जायेगी तथा मतगणना से संबंधित सभी कागजातों/ अभिलेखों को निर्वाची पदाधिकारी को सौंपा जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूर्णतः संतुष्ट हो लेने एवं आवश्यक जाँचोपरान्त मतगणना परिणाम की घोषणा दिनांक 14.07.2018 को की जायेगी।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 371 पटना, दिनांक 27-4-2018

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति एवं सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 371 पटना, दिनांक 27-4-2018

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिटी/ वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक: 371 पटना, दिनांक 27-4-2018

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/ प्रधान सचिव, गृह विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 371 /पटना, दिनांक 27-4-2018

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

परिशिष्ट-I

(i)	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रकाशन		10.05.2018 (गुरूवार)
(ii)	नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि/ अवधि		30.05.2018 से 05.06.2018 तक (कार्य दिवसों को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक)
(iii)	प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची (अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक के विवरण के साथ) का प्रकाशन		06.06.2018 (बुधवार)
(iv)	संवीक्षा की तिथि		07.06.2018 (गुरूवार); पूर्वाह्न 11 बजे से।
(v)	संवीक्षा के दौरान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन देने की तिथि एवं समय		09.06.2018 (शनिवार); अपराह्न 3 बजे तक
(vi)	पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन		11.06.2018(सोमवार) से 14.06.2018 (गुरूवार) तक
(vii)	विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन		19.06.2018 (मंगलवार)
(viii)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि/ अवधि		20.06.2018 (बुधवार) – 5 बजे अपराह्न तक
(ix)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन		21.06.2018 (गुरूवार)
(x)	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों का प्रकाशन		26.06.2018 (मंगलवार)
(xi)	मतदान की तिथि और समय (सविरोध निर्वाचन की स्थिति में)		13.07.2018 (शुक्रवार) (7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
(xii)	मतगणना की तिथि		13.07.2018 (शुक्रवार) (मतदान के समाप्ति के पश्चात् मतदान केन्द्र स्थल पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा)
(xiii)	निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा		14.07.2018 (शनिवार)
(xiv)	निर्वाचन कार्यक्रम की समाप्ति		15.07.2018 (रविवार)

20.4.18

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी का निर्वाचन

प्रपत्र-1

तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु आम सूचना

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- ..... दिनांक ..... के आलोक में तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के निर्वाचन में 5 निर्वाचन क्षेत्रों से एक-एक प्रतिनिधि के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 13.07.2018 को किया जाना है।

मैं ..... (निर्वाची पदाधिकारी का नाम), अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी -सह-निर्वाची पदाधिकारी तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब एतद् द्वारा आम जानकारी के लिए निम्नलिखित सूचना देता हूँ :-

i. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों का विवरण निम्नवत है :-

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
1. निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 (पटना सिटी-गुरू गोविन्द सिंह पथ से पूरब से नगर निगम सीमा के पूर्वी क्षेत्र तक)	1 (एक)
2. निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2 (गुरू गोविन्द सिंह पथ से पश्चिम गार्डिनर रोड के पूरब तक बोरिंग रोड कॉलोनी सहित)	1 (एक)
3. निर्वाचन क्षेत्र संख्या-3 (दानापुर, खगौल, चितकोहरा, नूतन राजधानी क्षेत्र एवं पटना जिला के शेष भाग)	1 (एक)
4. उत्तर बिहार सिंह सभा एवं सिख सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र	1 (एक)
5. दक्षिण बिहार सिंह सभा एवं सिख सोसायटी निर्वाचन क्षेत्र	1 (एक)

ii. नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय ..... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ..... (सहायक निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) के यहाँ दिनांक 30.05.2018 से 05.06.2018 तक कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक दाखिल किया जा सकता है।

iii. नामांकन पत्र का प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 22.05.2018 से प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राधिकार के वेबसाईट **www.bsea.bih.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

iv. नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 07.06.2018 को ..... (स्थान का नाम) पर 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।

v. संवीक्षा के दौरान निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन दिनांक 09.06.2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक दिया जा सकता है।

vi. पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 11.06.2018 से 14.06.2018 तक निष्पादन किया जायेगा।

vii. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक 20.06.2018 को अपराह्न 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दाखिल की जा सकती है।

viii. विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों के नाम एवं आवंटित निर्वाचन प्रतीक की सूचना अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.06.2018 को प्रकाशित की जायेगी।

ix. सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक 13.07.2018 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से 3:00 बजे अपराह्न तक होगा।

x. मतदान समाप्ति के पश्चात् संबंधित मतदान केन्द्र स्थल (जिसकी सूचना 26.06.2018 को प्रकाशित की जाएगी) पर ही उसी दिन उक्त मतदान केन्द्र का मतगणना संबंधित पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

xi. पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त सभी मतगणना कागजातों/ अभिलेखों के सम्यक् जाँचोपरान्त निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन दिनांक 14.07.2018 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ..... (स्थान का नाम) पर किया जायेगा।

स्थान-
तिथि-

अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी
नाम, हस्ताक्षर एवं सील

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-2

नामांकन पत्र

मैं, निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम.....से तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब की प्रबंधक कमिटी के सदस्य पद के लिए श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....,

(अभ्यर्थी का नाम)

पिता/ पति ..... का नाम प्रस्तावित करता हूँ। उनका डाक पता निम्नवत् है .....
.....। उनका नाम उक्त निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के क्रमांक .....
..... पर अंकित है। मेरा नाम ....., पिता/ पति .....
..... है और डाक पता निम्नवत् है .....
.....। मेरा नाम निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम .....
की मतदाता सूची के क्रमांक.....पर अंकित है।

प्रस्तावक का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान तिथि सहित

मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री....., पिता/ पति .....

(अभ्यर्थी का नाम)

के नामांकन के उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मेरा नाम .....है
और डाक पता निम्नवत् है .....।
मेरा नाम निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम ..... की मतदाता सूची के क्रमांक.....
पर अंकित है।

समर्थक का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान तिथि सहित

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं, ...,यह निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम .....
.....

(अभ्यर्थी का नाम)

से प्रबंधक कमिटी के सदस्य पद हेतु अपने नामांकन पर सहमति प्रदान करता हूँ। मैं निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि -

(i) मेरी उम्र नामांकन तिथि को ..... वर्ष है।
(ii) मेरा नाम और मेरे पिता/ पति का नाम नामांकन पत्र में सही रूप में दर्ज किया गया है।
(iii) मैं तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उपविधियों के अनुच्छेद-10(ए) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन नहीं हूँ।

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नामांकन पत्र का क्रमांक.....

यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय ..... (स्थान का नाम).....

में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न अभ्यर्थी/प्रस्तावक/प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा दिया गया।

स्थान- निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक-

संवीक्षा का प्रमाण-पत्र

मैंने अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अर्हता का परीक्षण कर लिया है और मैं पाता हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने तथा उसे प्रस्तावित एवं समर्थन करने योग्य हैं।

स्थान :

दिनांक : निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नामांकन पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों के संबंध में अनुदेश

(i) प्रपत्र-3 (परिशिष्ट-7) में शपथ पत्र।

(ii) मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति।

(iii) प्रतिभूत्ति राशि से संबंधित जमा की गई ₹ 51/- की रसीद की छायाप्रति।

(iv) अगर नामांकन पत्र स्वयं समर्पित नहीं किया गया है, तो परिशिष्ट-6 में दिये गये निदेश के आलोक में प्राधिकार पत्र।

नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिये जाने के लिये)

नामांकन पत्र का अनुक्रमांक : .....

श्री/सुश्री/श्रीमती ....., जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम ..... से प्रबंधक कमिटी पद के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी हैं, का नामांकन पत्र मुझे दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न में अभ्यर्थी/उनके प्रस्तावक/ प्राधिकृत अभिकर्त्ता(जो लागू नहीं हो, उन्हें काट दें) द्वारा परिदत्त किया गया। इस नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न (स्थान का नाम) .....में की जायेगी।

निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-6

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रस्तावक/अभिकर्त्ता के पक्ष में अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले प्राधिकार पत्र का नमूना

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र संख्या / नाम .....

मैंने उक्त निर्वाचन क्षेत्र से प्रबंधक कमिटी के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए प्रपत्र-2 में नामांकन पत्र भरा है। नामांकन पत्र जमा करने हेतु स्वयं नहीं आ सकने के कारण मैं इसे जमा करने हेतु अपने प्रस्तावक

श्री..... पिता/पति.....,

मतदाता सूची क्रमांक ..... / अभिकर्त्ता श्री .....

. पिता/ पति ....., मतदाता सूची क्रमांक ..... को प्राधिकृत करता हूँ। कृपया मेरा नामांकन पत्र प्राप्त करने की कृपा की जाय। प्रस्तावक/ अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर नीचे मेरे द्वारा अभिप्रमाणित है।

आपका विश्वासी

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)
अभ्यर्थी का नाम -
पता -

प्रस्तावक/ अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
दिनांक .....

सत्यापित

राजपत्रित पदाधिकारी/ ओथ कमिश्नर का हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-3

शपथ-पत्र

मैं,.....पिता/पति.....उम्र.....वर्ष, मोहल्ला.....पोस्ट.....थाना.....जिला....., बिहार का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नामांकन पत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या/ नाम ..... से तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के प्रबंधक कमिटी के सदस्य पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उपविधियों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब के संविधान एवं उपविधियों के अनुच्छेद 10 (ए) के तहत तहत निम्नलिखित अयोग्यताओं के अधीन नहीं हूँ -

- अगर वह नामांकन की तिथि को 21 वर्ष से कम आयु का हो, या
- विकृत चित्त का हो, या
- अगर उसे दिवालिया घोषित किया गया हो, या
- केशधारी सिख होते हुए अमृतधारी नहीं हो, या
- पतित हो, या
- तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब या इस प्रबंधक कमिटी के अधीन किसी गुरूद्वारे का वेतनभोगी सेवक हो, या
- तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब या इस कमिटी के अधीन किसी गुरूद्वारे का संवेदक हो, या
- तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब या इसके अधीन किसी गुरूद्वारे का किरायेदार हो और जिसके तीन महीने से अधिक अवधि का किराया बाकी हो, या
- शराब पीता हो,
- या तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहेब या इस कमिटी के अधीन किसी गुरूद्वारे का ऋणी हो, या
- गुरूमुखी पढ़ या लिख नहीं सकता हो।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर..... अभिसाक्षी(deponent)(अभ्यर्थी) का हस्ताक्षर

   पता.....

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर.....

   पता .....

स्थान :

दिनांक :

मैं, ऊपरवर्णित अभिसाक्षी (deponent) एतद् द्वारा सत्यापित एवं घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में अंकित सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही हैं, तथा इसका कोई भी अंश झूठा नहीं है, और इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

दिनांक ..... को सत्यापित

अभिसाक्षी (deponent) का हस्ताक्षर

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोटः-कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-4

नामांकन पत्रों की समीक्षा हेतु चेकलिस्ट

(यह निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की जायेगी)

क्रमांक	विषय	(√) लगायें
1	2	3
1	क्या नामांकन पत्र प्रपत्र 2 में दाखिल किया गया है?	
2	अगर नामांकन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं दायर नहीं किया गया है तो क्या उसके द्वारा समर्थक/ अभिकर्त्ता के पक्ष में दिया गया प्राधिकार पत्र संलग्न किया गया है?	
3	क्या अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र तथा पता अंकित किया गया है?	
4	क्या निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या तथा उसकी मतदाता सूची जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है, की क्रम संख्या अंकित की गयी है?	
5	क्या प्रस्तावक उस निर्वाचन क्षेत्र का है जिस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, अगर हाँ तो क्या प्रस्तावक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
6	क्या प्रस्तावक का हस्ताक्षर है?	
7	क्या समर्थक उस निर्वाचन क्षेत्र का है जिस निर्वाचन क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, अगर हाँ तो क्या समर्थक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
8	क्या समर्थक का हस्ताक्षर है?	
9	क्या नामांकन पत्र के अन्त में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और तिथि भी अंकित किया गया है?	
10	क्या अभ्यर्थी द्वारा प्रतिभूत्ति राशि के रूप में ₹ 51/- जमा करने से संबंधित रसीद की प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न की गई है?	
11	क्या प्रपत्र-3 में वाँछित शपथ पत्र अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किया गया है तथा क्या उसपर अभ्यर्थी एवं गवाह का हस्ताक्षर अंकित है?	
12	क्या अभ्यर्थी के नाम सहित मतदाता सूची की सत्यापित प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न की गई है?	
13	क्या अभ्यर्थी द्वारा विहित अवधि में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-5

दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी

(यह निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की जायेगी)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या .....

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	प्रस्तावक का नाम एवं पता	समर्थक का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6

दिनांक -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-6

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा के दौरान स्वीकृत/ अस्वीकृत नामांकन पत्रों की सूची का आधार सहित प्रकाशन

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या .....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	नामांकन पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत	स्वीकृति का आधार	अस्वीकृति का आधार

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी के उक्त निर्णय से कोई असंतुष्टि या आपत्ति हो, वे दिनांक ..... को ..... बजे तक मेरे यहाँ विहित प्रपत्र-2 में, जो इस सूचना के साथ प्रदर्शित है, पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

स्थान :.....

दिनांक:.....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-7

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी,
निर्वाचन क्षेत्र संख्या / नाम .....

आपके द्वारा प्रकाशित प्रपत्र-1 के क्रमांक ..... पर उल्लिखित अभ्यर्थी श्री .....

.....के नामांकन पत्र की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में मुझे निम्नलिखित आपत्ति दर्ज करनी है -

(आपत्ति का उल्लेख करें)

अनुरोध है कि भवदीय द्वारा पारित आदेश को पुनरीक्षित करते हुए उपर्युक्त अभ्यर्थी का नामांकन स्वीकृत/ अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

आपका विश्वासी

(आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर)
आपत्तिकर्त्ता का नाम -
निर्वाचन क्षेत्र सं॰ ..... की मतदाता सूची में क्रमांक .....

किसी अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति स्वयं दायर नहीं किये जाने की स्थिति में

उक्त पुनरीक्षण आवेदन दायर करने हेतु मैं अपने अधिवक्ता/ अभिकर्त्ता श्री ..... जिनका हस्ताक्षर नीचे अभिप्रमाणित है, प्राधिकृत करता हूँ।

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
मतदाता सूची का क्रमांक .....

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-8
अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

1. निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या, जिसके लिए नामांकन दाखिल किया गया है .....
2. अभ्यर्थी का –
   (i) मतदाता सूची में क्रमांक .....
   (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) .....
3. (i) पिता का नाम (पुरूष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।
   (ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।

मैं, उपर्युक्त पद के लिए निर्वाचन लड़ना नहीं चाहता/चाहती हूँ और तदनुसार बिना किसी दु:ख या दबाव के मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता/लेती हूँ।

यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी/ उनके प्रस्तावक/ उनके अभिकर्त्ता (अगर नाम वापसी के लिए प्रस्तावक या अभिकर्त्ता द्वारा जमा किया गया हो तो उनका स्पष्ट नाम) द्वारा परिदत्त की गयी है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद
(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

श्री/सुश्री/श्रीमती,....., जो निर्वाचन क्षेत्र नाम/संख्या..... से सदस्य पद के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी/ उनके प्रस्तावक/ उनके अभिकर्त्ता (नाम-.....) द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में दी गई जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

तिथि-
स्थान-

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-9

अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(यह निर्वाचन क्षेत्रवार अलग-अलग तैयार की जायेगी)

निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या .....

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या ..... से सदस्य पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों में से निम्नांकित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है :-

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम
1	2	3

तिथि -

स्थान-

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-10

विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

(यह निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की जायेगी)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या .....

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	आवंटित चिह्न
1	2	3	4	5	6

* यह सूची कंडिका-8 के अनुसार वर्णानुक्रम में तैयार की जाएगी।

दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-11

अभ्यर्थियों का नाम एक समान (Identical) रहने पर पहचान हेतु आवंटित चिह्न

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....

.....

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या ..... से प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्य पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की संवीक्षा उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में निम्नांकित अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) है।

इन अभ्यर्थियों की स्पष्ट एवं अलग अलग पहचान के लिए निम्न स्तंभ 1 में अंकित अभ्यर्थी स्तंभ 2 में अंकित नाम से जाने जायेंगे।

क्रमांक	स्तंभ-1	स्तंभ-2
1.	नाम.....	नाम.....
	पता.....	
2.	नाम.....	नाम.....
	पता.....	
3.	नाम.....	नाम.....
	पता.....	

दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-12

प्रतीक आवंटन की सूचना

कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या .....

प्रेषित,

.....

.....

.....

अभ्यर्थी, निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या .....

विषय : प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन : निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सूचना।

उपर्युक्त विषयक एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या ..... से प्रबंधक कमिटी के सदस्य पद हेतु दिनांक ..... को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की सूची में अंकित है तथा आपको निर्वाचन प्रतीक के रूप में.....प्रतीक आवंटित किया गया है। निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति संलग्न है।

स्थान –

दिनांक –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुकृति काटकर चिपकाई जाएगी।

परिशिष्ट-17

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड (penal) प्रावधानों के संबंध में सूचना

एतद् द्वारा आपको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 में भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों, तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-A में उल्लिखित निर्वाचन से संबंधित अपराधों की सूचना दी जा रही हैं। कृपया ध्यान दे कि यह सूची सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं है। आपको अधिक जानकारी के लिए कानून के संगत प्रावधानों का भी अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है। इन भ्रष्ट आचरणों तथा निर्वाचन अपराधों को किया जाना साबित हो जाने पर कानून के अनुसार आपके निर्वाचन को रद्द घोषित किया जा सकता है और/या कानून में प्रावधानित दंड भी दिया जा सकता है।

(I) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008

(क) भ्रष्ट आचरण (धारा 14)

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 में यथापरिभाषित रिश्वत
2. उक्त धारा के खंड (1) में यथापरिभाषित अनुचित प्रभाव
3. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना या उसकी दुहाई देना या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करना या दुहाई देना
4. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना
5. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन
6. मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के निःशुल्क परिवहन के लिए किसी वाहन को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या उसका उपयोग करना
7. किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो।
8. निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिस पर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशन का नाम-पता न हो।
9. कोई अन्य आचरण जिसे सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण निर्दिष्ट करे

(ख) निर्वाचन अपराध

10. धारा 6 (1) – निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता
11. धारा 6 (2) – मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध
12. धारा 6 (3) – निर्वाचन सभा में बाधा
13. धारा 6 (4) – पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध
14. धारा 6 (5) – मतदान की गोपनीयता बनाए रखना
15. धारा 6 (6) – निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे।
16. धारा 6 (7) – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार पर प्रतिषेध
17. धारा 6 (8) – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विश्रृंखल आचरण पर प्रतिबंध
18. धारा 6 (9) – मतदान केन्द्र पर अवचार पर प्रतिबंध
19. धारा 6 (10) – मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफल

20. धारा 6 (11) – मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने हेतु अवैध रूप से वाहनों को किराये पर लेना या उपाप्त करना

21. धारा 6 (12) – निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग

22. धारा 6 (13) – निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मनाही

23. धारा 6 (14) – मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध

24. धारा 6 (15) – मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना

25. धारा 6 (16) – मतदान केन्द्र पर कब्जा का अपराध

26. धारा 6 (17) – निर्वाचन संबंधी कागजातों, अभिलेखों, मतपत्रों, मतपेटिकाओं आदि को कपटपूर्वक या आवश्यक प्राधिकार के बिना नष्ट करना

(II) (ग) भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

27. धारा 171 B – रिश्वतखोरी या घूसखोरी

28. धारा 171 C – निर्वाचनों में अनुचित प्रभाव

29. धारा 171 D – निर्वाचन में प्रतिरूपण (personation) अर्थात् किसी दूसरे व्यक्ति का मत स्वयं छद्म रूप से वह व्यक्ति बनकर देना

30. धारा 171 G – निर्वाचन के संबंध में मिथ्या विवरण देना

31. धारा 171 H – निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान

32. धारा 171 I – निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं रखना

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-13

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम) .....निर्वाचन क्षेत्र नाम/संख्या ..... से सदस्य पद का/की अभ्यर्थी हूँ तथा श्री ..... (जिनका नाम मतदाता सूची क्रमांक ..... पर है) को आज की तिथि से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान -
दिनांक -

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान -
दिनांक -

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान -
दिनांक -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भेजे जाने वाला प्रतिवेदन।

सेवा में,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी,
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना।

विषय : **निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या ..... से प्रबंधक कमिटी के लिए सदस्य पद के चुनाव के संबंध में।**

महाशय,

सूचित करना है कि उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य पद के निर्वाचन हेतु *

(1) कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है, या

(2) दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र संवीक्षा के दौरान अस्वीकृत कर दिये गये हैं, या

(3) वैध नामांकन पत्र दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है।

कृपया उपर्युक्त स्थिति में अग्रत्तर कार्रवाई के लिए निदेश देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,

निर्वाची पदाधिकारी
(सील सहित हस्ताक्षर)

*** जो लागू न हों, उसे काट दें।**

प्रपत्र-14

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रमाण-पत्र

मैं.....निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक.....माह.....वर्ष.....को श्री/सुश्री/श्रीमती..... जो श्री/श्रीमती.....के/की पुत्र/ पुत्री/ पत्नी हैं और जो..... के/की निवासी हैं, को तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब की प्रबंधक कमिटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र नाम/ संख्या ..... से सदस्य के रूप में सम्यक्रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह प्रमाण पत्र दिया है।

स्थान-
दिनांक-

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम की मुहर)

प्रतिलिपि : मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, पटना/ संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(पदनाम की मुहर)

परिशिष्ट-21

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र-15

मतदान केन्द्रों के बारे में सूचना का प्रकाशन
(पाँचों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक साथ तैयार किया जायेगा)

निर्वाचन क्षेत्रों का नाम/ संख्या	मतदान केन्द्र का नाम एवं अवस्थिति	मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाताओं की क्रम संख्या(मतदाता सूची के किस क्रमांक से किस क्रमांक तक)	अभ्युक्ति

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर सील

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र- 16

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र

(मतदान केन्द्र से संबंधित पीठासीन पदाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या .....

मतदान केन्द्र का नाम/ संख्या .....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या
	योग-	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या-

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या-

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या-
(क + ख)

मतगणना सहायक/ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम -

मतगणना का स्थान .....

दिनांक .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र- 17

निर्वाचन के मतों की गणना का समेकित परिणाम-पत्र

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी पीठासीन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रपत्र-1 के आधार पर तैयार किया जाएगा)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या .....

क्रमांक		अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या							
	मतदान केन्द्र की संख्या → / अभ्यर्थी का नाम								
	कुल								
(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या-									
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या-									
(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या- (क + ख)									

नाम -

पदनाम -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

प्रपत्र- 18

निर्वाचन परिणाम की विवरणी

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-17 के आधार पर तैयार किया जाएगा)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या ..... से सदस्य पद का निर्वाचन

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या
1	2	3
	योग-	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या-

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या-

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या-

(क + ख)

मैं यह घोषित करता/ करती हूँ कि - श्री/ श्रीमती/ सुश्री .....
(अभ्यर्थी का नाम)
....., पता....., निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ संख्या .....
..... से सदस्य पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान-

दिनांक -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रबंधक कमिटी, तख्त श्री हरिमंदिरजी, पटना साहेब निर्वाचन

मतों की गणना के लिए गणना-शीट का नमूना

[उदाहरण : अगर दस अभ्यर्थी मैदान में हों एवं मतपेटिका में कुल 338 मतपत्र (7 बंडल) पड़े हों]

क्र॰	अभ्यर्थी का नाम	बंडलवार प्राप्त मतों की संख्या							कुल योग
		1	2	3	4	5	6	7	
1	सरदार गेंदा सिंह	22	08	03	00	07	08	00	48
2	बीबी अमरजीत कौर	12	07	10	09	06	08	00	52
3	सरदार कालिका सिंह	07	04	12	11	06	07	18	65
4	सरदार सुरजीत सिंह	03	05	10	20	05	05	07	55
5	सरदार कृपाल सिंह	01	07	05	02	06	07	07	35
6	सरदार जगजीत सिंह	00	08	00	03	05	00	00	16
7	सरदार नवजोत सिंह	01	05	00	02	03	07	03	21
8	सरदार ज्ञानी सिंह	02	04	05	00	03	03	03	20
9	सरदारनी परमजीत कौर	01	02	03	00	05	03	00	14
10	सरदार आनन्दी सिंह	01	00	02	03	04	02	00	12
योग		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**38**	**338**